

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 462 / 12-1

नई टिहरी, दिनांक- 16/08/2021

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर।

विषय:- जनपद-टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/36299/2018)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/99/2020/एफ0सी0/2482, दिनांक:-17-03-2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक:-182/FP/UK/ROAD/36299/2018, दिनांक:-20-07-2020।

महोदय,

जनपद-टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगा:-

1- शर्त सं0-01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2- शर्त सं0-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी, इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

3- शर्त सं0-03-प्रतिपूरक वनीकरण :-

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.98 है0 ग्राम नौली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0-20,16,360.00 (बीस लाख सौलह हजार तीन सौ साठ रुपये मात्र) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों को एकल कृषि से बचें। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन

1-प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल - 5.98 है0

2-वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित दर - 3,70,902.00 (तीन लाख सत्तर हजार नौ सौ दो रुपये मात्र)

3-प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग- 5.98 है0 X 3,70,902.00 = 22,17,994.00

(बाईस लाख सत्तर हजार नौ सौ चौरानवै रुपये मात्र)

ख) प्रयोक्ता अभिकरण गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र आम-दरामद मय नक्शा, खसरे के प्रस्तुत करना होगा।

4- शर्त सं0-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5- शर्त सं0-05-शुद्ध वर्तमान मूल्य:-

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक:-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक:-18-09-2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक:-03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु0-19,64,430.00 (उन्नीस लाख चौसठ हजार चार सौ तीस रुपये मात्र) की धनराशि 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार है:-

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन

1-ईको-क्लास श्रेणी - V

2-हरियाली का घनत्व- 0.1

3-एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रुपये- 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)

4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 2.99 है0

5-कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-2.99है0X6,57,000.00=19,64,430.00

(उन्नीस लाख चौसठ हजार चार सौ तीस रुपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

6- शर्त सं0-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7- शर्त सं0-07 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

8- शर्त सं0-08 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9- शर्त सं0-09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

10- शर्त सं0-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

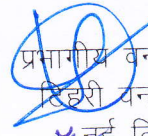
- 11— शर्त सं0-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 12— शर्त सं0-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
- 13— शर्त सं0-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 14— शर्त सं0-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 15— शर्त सं0-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 16— शर्त सं0-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 17— शर्त सं0-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 18— शर्त सं0-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 19— शर्त सं0-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 20— शर्त सं0-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक-29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 21— शर्त सं0-21 के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी जो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी, इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 22— शर्त सं0-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तट सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे उपयुक्त प्रजातियों के पोषे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार

कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

23— शर्त सं0-23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

24— शर्त सं0-24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी